


7-5-18

पञ्जावली आज ईम्प कोर्ट दाखिल मोड्री में पेश हुई। पञ्जावली का खयाल पूर्वत अक्लोरनरिफि नामा राजस्व रिपोर्ट जमाकरी संभवत 2068-71 का ड्रिमां से अनुसार ग्रामि ख. न. 446, 447 रिता-2 रक्का 5-50 है. के वही व जतिवाही न- 1 से 3 रिपोर्टि रवाले दर दर्ज है। उक्त वार्जित ग्रामि सामलगती कृषि ग्रामि है तथा विधिवत विमाजन नही हो रखा है च्यारा 53 के जवफासुधार कहीजत वार्जित ग्रामि का विधिवत विमाजन करवाते के आधिवाही हो

आदेश

वाड पत्र लकीकर सिमा जाता है तथा जयमिने सिडी रक आशय ही ही जाती है. डि ग्राम ड्रिमां की सरहद में स्थित ग्रामि ख. न. 446, 447 रिता-2 का उल रक्का 5.50 है वही व जतिवाही न- 1 से 3 का राजस्व रिपोर्ट में दर्ज हिस्सा हं कं ह्या अनुसार रास्ते का जवफान रखते उके विधिवत विमाजन सिधे जाके का आदेश दिमा जाता है। तनुसार तहसीलदार उदयपुरवाही उमयपसकारण की उपस्थिति में विमाजन पुस्ताव तैयार करें. तथा भय नभशा के से जतिमों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। सिडी पचि जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7-5-18 को ईम्प कोर्ट दाखिल मोड्री में हुनामा गया। पञ्जावली जिला अमर होकर नम्बर 6 कर हो तथा पञ्जावली दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाही (मुन्धुन)